इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 646] भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2018—पौष 1, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्र. 2392-1335-2017-दस-2.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2002 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) तथा सहपठित मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के परामर्श से बनाना प्रस्तावित करती है जो उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के अवसान होने पर उक्त अधिसूचना के प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त अधिसूचना के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विर्निदिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हों, सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26 किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप अधिसूचना

यत:, नरो हिल्स मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित है एवं प्रस्तावित 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व में है.

और, यत:, प्रस्तावित स्थल विलक्षण एवं विविध भूतत्व का है, जो बड़ी संख्या में पारिस्थितिकीय तंत्र एवं वनस्पति एवं प्राणियों की प्रजातियों को सहारा देता है जिनमें दुर्लभ ब्रायोफाइट एवं पेटरीफाइट भी सम्मिलित हैं:

और, यत:, स्थानीय समुदाय के पास दुर्लभ पारंपरिक ज्ञान है जिसका उपयोग वे औषधियों को बनाने के लिए करते हैं:

और, यत:, यह आवश्यक है कि पारिस्थितिक तथा जैवविविधता की दृष्टि से क्षेत्र के विस्तार तथा सीमाओं को संरक्षित तथा सुरक्षित किया जाए, जिसे जैवविविधता विरासत स्थल की इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है.

अतएव, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2002 का 18) की धारा 37 की उप-धारा एवं सहपठित मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख धारकों के परामर्श से, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, एतद्द्वारा, नरो हिल्स (पहाड़) को नीचे दी गई अनुसूची में ब्यौरे के अनुसार, जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	नाम (2)	कुल क्षेत्रफल (3)	स्थिति (4)	अधिकारिता (5)
1.	नरो हिल्स	200.00 हेक्टेयर	कक्ष क्रमांक पी—789 पी—790	बीट—मौहार परिक्षेत्र—सतना उप वनमण्डल—सतना वन मण्डल—सतना

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड वन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित कार्य करेगा:—

1. जैवविविधता विरासत स्थल की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना.
2. जैवविविधता संरक्षण हेतु वन विभाग के क्षेत्रीय अमले, वनवासियों तथा आदिवासियों की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना.
3. अंतस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण से प्रजातियों का संवर्धन करना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्र. 2392-1335-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2392-1335-17-दस-2, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2018

NOTICE

No. 2392-1335-2017-X-2.—The following draft of notification, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2002) and read with sub-rule (1) of Rule 22 of Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 in consultation with the Madhya Pradesh State Biodiversity Board is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of notification shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of notification specified above shall be considered by Member Secretary. Madhya Pradesh State Biodiversity Board, 26 Kisan Bhawan, Ist Floor, Arera Hills, Bhopal.

DRAFT OF NOTIFICATION

WHEREAS, the Naro Hills are located in Satna District of Madhya Pradesh and the proposed site is spread over 200 hectare under the ownership of Forest Department, Government of Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, the proposed site has unique and varied geology and it supports a large number of ecosystem and species of flora and fauna including rare Bryophytes and Pteridophytes;

AND, WHEREAS, the local community has unique traditional knowledge which they use to make medicines;

AND, WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in Schedule of this notification as Biodiversity Heritage Site from ecological and biodiversity point of view;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2002) and read with sub-rule (1) of rule 22 of Madhya Pradesh Biological Diversity rules, 2004 in consultation with the local bodies and other key holders, the Madhya Pradesh State Biodiversity Board, hereby, notifies Naro Hills as Biodiversity Heritage Site as detailed in the Schedule below:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name (2)	Total Area (3)	Location (4)	Jurisdiction (5)
1.	Naro Hills	200.00 Hectare	Compartment No. P—789, P—790	Beat—Mouhar Range—Satna Sub-division—Satna Division—Satna

The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake the following work in collaboration with Forest Department:—

1. The Management Plan for conservation of the natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site area.

2. Capacity building programme(s) for front line staff of Forest Department, Forest Dwellers and Tribals to conserve biodiversity.

3. The propagation of species for In-situ and Ex-situ conservation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.